

# डिक्री मुकदमा इन्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

(2)

अज अदालत उपरवण्ड अधिकारी मुकाम होडामीम व

इजलास पीठासीन अधिकारी जगदीश आर्य R. S D

## उन्वान

याशम पुत्र जिन्सीराम  
ना दादजपुर तहसील  
होडामीम जिला  
करोली

- 1 लोहड़े पुत्र रामकुमार
- 2 अखन इफ्तखर पुत्र रामकुमार
- 3 रामराज पुत्र रामकुमार
- 4 रामस्वल्प पुत्र रामदेव मीना  
निवासी - दादजपुर तहसील  
होडामीम जिला करोली
- 5 राजशम लाला 6 पुत्रराज  
पिंशयो प्रसाद मीना ना वाकिफा  
मुकदमा नं० 70 सन् 2012

**बनाम**


बाबत बोषणा खोहदारी

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई सबई पी मदन ओ हद शाकी निवः व हाजिरी

मिनकानिब मुदई सबरु हमारे

नेब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

जाम दादजपुरकी भूमि ख. न साकिक 667 रुक वा 11 निस्वाके गवीर ख. न  
163 रुक वा 0.05 है, 163/936 रुक वा 0.05 है, 163/937 रुक वा 0.05 है  
कुल किला उधुल रुक वा 0.15 है में हिस्सा  $\frac{1}{3}$  की खोहदारी वादी  
के नाम कर दी जाके तथा प्रतिवादीजन लोहड़े अखन, रामराज पिंशमकुमार  
हि/3 का नाम हजफ कर दिया जाके। जमीन इतने में वादी को किचयकर  
दी है।



मुबलिंग

बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक

शरह

का अदा करे।

07 माह 6 सन् 2015

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

दस्तखत मुप जिला कलक्टर  
ओहदा होडामीम (करोली)

मुहर

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
वजह सबूत			महन्ताना वकील		
ताना वकील			खर्चा गवाहान		
गवाहान			फीस कमिशनर		
कमिशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
फरिक					

मीजान

डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए।